

प्रेसनोट दिनांक 03.07.2021

1. दिनांक 02.07.21 को वादी श्री रामजग पुत्र परदेशी नि० शेख पुरा थाना गोसाईगंज सुलतानपुर द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 45 टी 2804 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र को टक्कर मार देना जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 281/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 02.07.21 को वादी श्री पंकज सिंह पुत्र स्व० भानु प्रताप सिंह नि० गद्दोपुर हरिदासपुर थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमरेश सिंह पुत्र स्व० नरेन्द्र प्रताप सिंह नि० गद्दोपुर हरिदासपुर थाना गोसाईगंज अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए वादी को मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 186/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 02.07.21 को वादी श्री चन्द्रभूषण ओझा पुत्र शत्रुघन ओझा नि० सिसवा बुजुर्ग जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन का चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भतीजे हर्षित की मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे मो०सा० सहित नहर में गिर जाने से मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 299/21 धारा 279, 304ए, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 02.07.21 को वादी उ०नि० श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मेन्द्र निषाद पुत्र रामनाथ निषाद नि० तोरोमाफी दराबगंज थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने का उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 300/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 02.07.21 को वादी श्री सुनील कुमार शुक्ला पुत्र रामदेव शुक्ला नि० रौतावां थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि त्रिलोकी नाथ पुत्र सूर्य बक्श शुक्ला नि० रौतावां थाना खण्डासा अयोध्या आदि 04 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए वादी को मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 172/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।